<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 17/2022 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री राजकुमार पुत्र श्री रामकरण सैनी
   एफबीओ मैसर्सः—नेहा स्वीट्स, रेल्वे स्टेशन के बाहर, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 29.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के **द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय** क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 12.3.2022 को दोपहर बाद 03:15 बजे मैसर्स— नेहा स्वीट्स, रेल्वे स्टेशन के बाहर, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राजकुमार पुत्र श्री रामकरण सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे **खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 5 लोहे की ट्रे में करीबन 20 किग्रा बर्फी (मावा मिठाई) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर एक लोहे की ट्रे में से नमूने की** जांच हेतु 2 किग्रा बर्फी (मावा मिठाई) खरीदी। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में तोलकर दी। जिसकी कीमत 560 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा बर्फी (मावा मिठाई) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में [illegible] बर डालकर प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 13:08:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2898 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के **हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द** बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व **गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ.** व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद** बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री **महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.3.2022 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर** के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.3.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने **की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.3.2022 को डी.ओ.** व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./320/एक्ट/2022/320 दिनांक 21.3.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./320/एक्ट/2022/320 दिनांक 21.3.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) के नमूने की जांच रिपोर्ट में बी. आर. रीडिंग 44.9 प्राप्त हुई है जो कि 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिए थी। उक्त नमूने में **Reichart Value of Extracted fat** की मात्रा 10.78 पाई गई है। जो कि कम से कम 24.0 होनी चाहिये थी। बी. आर. रीडिंग तय मानको **से अधिक पाये जाने के कारण तथा Reichart Value of Extracted fat** तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) **का उल्लंघन कर सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बर्फी** (मावा मिठाई) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 18:08:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। बल्कि ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के पास जो दूध लाया जाता हैं उसका मावा बर्फी बनाता है। प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 17 / 2022 FSSA

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./320/एक्ट/2022/320 दिनांक 21.3.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का **उल्लंघन होने से** अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री राजकुमार पुत्र श्री रामकरण सैनी एफबीओ मैसर्सः–नेहा स्वीट्स, रेल्वे स्टेशन के बाहर, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा पर 12000/–(अक्षरे बारह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.6.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.6.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक FSSA/2022 / दिनांकः– 29.6.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजकुमार पुत्र श्री रामकरण सैनी एफबीओ मैसर्सः–नेहा स्वीट्स, रेल्वे स्टेशन के बाहर, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 13:08:19 IST
Reason: SelfAttested